न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code – UP1893
आपराधिक निगरानी संख्या–359/2026
कंप्यूटर रजि०सं०–359/2026
CNR NoUPGZ010061642026

1–योगेन्द्र पुत्र दयाचन्द आयु लगभग 57 वर्ष
2–वीरेन्द्र पुत्र दयाचन्द आयु लगभग 59 वर्ष
3–आयुष पुत्र योगेन्द्र आयु लगभग 30 वर्ष
निवासीगण–ग्राम सौंदा थाना निवाड़ी जिला गाजियाबाद।

–निगरानीकर्तागण

बनाम

1–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) गाजियाबाद।
2–दयाचन्द पुत्र स्व० सुक्खन आयु लगभग 79 वर्ष निवासी–ग्राम सौंदा थाना निवाड़ी जिला गाजियाबाद।

–रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण

.....

11–06–2026

निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, निगरानीकर्तागण की ओर से परिवाद संख्या–642/2025 दयाचन्द बनाम योगेन्द्र आदि में न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 3 गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–03–2026 के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानीकर्तागण को धारा–115(2),351(2),352 बी०एन०एस० के विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया गया है।

तथ्य

2– उक्त प्रकरण से सम्बंधित परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विपक्षी सं० 2/परिवादी द्वारा निगरानीकर्तागण के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय के समक्ष परिवाद यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का पुत्र योगेन्द्र व पोता आयुष बहुत मुठमर्द व झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं। दिनांक 30–06–2025 की शाम 6 बजे प्रार्थी अपने घर पर था तो योगेन्द्र व आयुष उसके घर के अंदर जबरदस्ती घुस आए तथा आते ही गंदी गंदी गालियां देते हुए धमकी दी कि साले बूढे अपनी सारी जमीन हमारे नाम कर दे वरना तुझे व तेरे बेटे रविन्द्र को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। विरोध करने पर दोनों ने प्रार्थी के साथ मारपीट की तथा धमकी दी। उक्त घटना की शिकायत थाना निवाड़ी में की तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। मजबूरन प्रार्थी ने संपूर्ण समाधान दिवस तहसील मोदीनगर में दिनांक 05–07–2025 को उक्त लोगों के विरूद्ध शिकायत दी तो दिनांक 10–07–2025 की शाम को थाना निवाड़ी की पुलिस ने प्रार्थी को बुलाया तो वहां पहले से ही योगेन्द्र व आयुष मिले तथा पुलिस के सामने ही प्रार्थी को धमकी दी लेकिन इसके बावजूद भी कोई रिपोर्ट दर्ज नही हुई। दिनांक 11–07–2025 की सुबह लगभग 7 बजे योगेन्द्र व आयुष व वीरेन्द्र

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.06.12 15:23:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी के घर के अंदर जबरदस्ती घुस आए तथा तीनों ने गंदी गंदी गालियां दी तथा प्रार्थी की छाती पर जान से मारने की नीयत से तमंचा लगाकर धमकी दी कि यदि तूने सारी जमीन हमारे नाम नहीं की तो तुझे इतनी गोली मारूंगा कि लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। प्रार्थी की घर वाली बीच में आ गयी तथा उक्त लोगों के हाथ पैर जोड़े तो उन्होंने उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया। प्रार्थी का लड़का रविन्द्र भी मौके पर आ गया तो तीनों ने मिलकर रविन्द्र के साथ भी गंदी गंदी गालियां देते हुए मारपीट की।

3– विपक्षी सं० 2/परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद में अंकित तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06–03–2026 के माध्यम से निगरानीकर्तागण योगेन्द्र, वीरेन्द्र व आयुष को धारा– 115(2),351(2),352 बी०एन०एस० में विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण के द्वारा वर्तमान निगरानी संस्थित की गयी।

निगरानी के आधार/तर्क

4– निगरानीकर्तागण की ओर से अपने आधार निगरानी एवं तर्क में यह कहा गया है कि आदेश दिनांकित 06–03–2026 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी कर पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करते समय परीक्षण न्यायालय ने अपने विधिक/ न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करके मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण को नोटिस जारीकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया था और निगरानीकर्तागण ने परिवाद के विरूद्ध अपनी आपत्ति विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर मौखिक रूप से भी अपना पक्ष रखा था लेकिन परीक्षण न्यायालय ने निगरानीकर्तागण के लिखित आपत्ति व मौखिक आपत्ति को विचार में न लेकर आक्षेपित आदेश पारित कर विधिक भूल की है। उक्त मामले के परिवादी तथा साक्षी रविन्द्र कुमार द्वारा निगरानीकर्ता सं० 3 की 21 बीघा कृषि भूमि साज करके हड़प ली है और वह उक्त भूमि को निगरानीकर्ता को लौटाना नहीं चाहते हैं इसलिए परिवादी द्वारा उक्त परिवाद साज करके निगरानीकर्तागण के विरूद्ध दायर किया गया है और उक्त सारे तथ्य निगरानीकर्तागण द्वारा अपनी आपत्ति में प्रस्तुत की थी लेकिन परीक्षण न्यायालय ने उक्त बातों को विचार तमें न लेकर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। निगरानीकर्ता सं० 2 वीरेन्द्र द्वारा अपनी आपत्ति अलग से प्रस्तुत की थी और उक्त मामले से वीरेंद्र का कोई लेना देना नहीं है। उक्त मामला एक ही परिवार से सम्बंधित हैं। ऐसे मामले में यह पूरी संभावना बनती है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की संपत्ति विवाद में झूठा फंसाना चाहता है इसलिए परीक्षण न्यायालय को पुलिस अधिकारी से जांच करायी जानी आवश्यक थी लेकिन परीक्षण न्यायालय ने कोई जाँच नहीं करायी। अतः निवेदन किया गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 06–03–2026 निरस्त किया जाए।

5– विपक्षीगण की ओर से मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि निगरानी असत्य कथनों के आधार पर योजित की गयी है। आक्षेपित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

6– निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण के तर्कों को सुना गया एवं आक्षेपित आदेश दिनांकित 06–03–2026 का अवलोकन किया गया।

7– निगरानीकर्तागण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामला एक ही परिवार से सम्बंधित हैं। अतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की संपत्ति विवाद में झूठा फंसाना चाहता है इसलिए परीक्षण न्यायालय को पुलिस अधिकारी से जांच करायी जानी आवश्यक थी लेकिन परीक्षण न्यायालय ने बिना किसी पुलिस अधिकारी से कोई जाँच कराए निगरानीकर्तागण को उक्त परिवाद में धारा–115(2),351(2),352 बी०एन०एस० के अंतर्गत विचारण हेतु तलब कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानीकर्तागण द्वारा परिवाद के विरूद्ध अपनी आपत्ति विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर मौखिक रूप से भी अपना पक्ष रखा था लेकिन परीक्षण न्यायालय ने निगरानीकर्तागण के लिखित आपत्ति व मौखिक आपत्ति को विचार में न लेकर आक्षेपित आदेश पारित कर विधिक भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

8– विपक्षी सं० 2/परिवादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का पुत्र योगेन्द्र व पोता आयुष मुठमर्द व झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं, जो दिनांक 30–06–2025 की शाम 6 बजे विपक्षी/परिवादी के घर जबरदस्ती घुस आए तथा गंदी गालियां देते हुए धमकी दी कि साले बूढे अपनी सारी जमीन हमारे नाम कर दे नहीं तो उसे व उसके बेटे रविन्द्र को जान से मार देंगे। उक्त घटना की शिकायत थाना निवाड़ी में करने पर कोई कार्यवाही नहीं हुईं दिनांक 11–07–2025 को प्रातः लगभग 7 बजे योगेन्द्र, आयुष व वीरेन्द्र ने विपक्षी/परिवादी के घर में जबरदस्ती घुसकर गालियां दी व सीने पर तमंचा लगाकर धमकी दी कि यदि सारी जमीन उनके नाम नहीं की तो जान से मार देंगे। उसकी पत्नी द्वारा हाथ पैर जोड़ने पर उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया तथा विपक्षी/परिवादी के पुत्र रविन्द्र के साथ भी गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट की।

9– परिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं को धारा–223 बीएनएसएस के अंतर्गत परीक्षित कराया गया तथा धारा–224 बीएनएसएस के अंतर्गत साक्षी रविन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया। आक्षेपित आदेश में परिवादी द्वारा धारा–223 बीएनएसएस के अंतर्गत दिए गए बयान को उल्लिखित करते हुए यह अंकित किया गया है कि उसका बेटा योगेन्द्र व आयुष झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं। दिनांक 30–06–2025 की शाम को करीब 6 बजे उसके घर में घुस आए, उसे गंदी गंदी गालियां दी तथा धमकी दी कि या तो अपनी सारी जमीन हमारे नाम कर दे नहीं तो तुझे और तेरे बेटे रविन्द्र को जान से मार देंगे। विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। उसके द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस के सामने भी विपक्षीगण ने उसके साथ बदतमीजी की और बुरा भला कहा। दिनांक 11–07–2025 को समय सुबह 7 बजे तीनों विपक्षीगण उसके घर में घुस आए। उसे गाली गलोच की तथा उसके साथ मारपीट की। उस समय घर पर उसकी पत्नी भी थी। योगेन्द्र ने परिवादी की छाती पर तमंचा रखकर कहा कि तेरे इतनी गोली मारूंगा याद रखेगा। उसकी पत्नी ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। मौके पर रविन्द्र आ गया, उसके साथ भी मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। अग्रेतर आदेश में यह भी उल्लिखित है कि परिवादी के कथानक का समर्थन साक्षी रविन्द्र के बयान अंतर्गत धारा–224 बीएनएसएस के अंतर्गत तलब किए जाने हेतु मिलता है। अतः परिवादी के परिवाद पत्र,

बयान अंतर्गत धारा–223 व 224 बीएनएसएस एवं पत्रावली में दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निगरानीकर्तागण योगेन्द्र, वीरेंद्र एवं आयुष को धारा–115(2),351(2),352 बी०एन०एस० में तलब किए जाने हेतु पर्याप्त आधार पाते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

10– उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा परिवाद पत्र में किए गए कथन, परिवादी द्वारा धारा–223 बीएनएसएस तथा साक्षी रविन्द्र द्वारा धारा–224 बीएनएसएस के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विवेचना के उपरांत निगरानीकर्तागण को धारा–115(2),351(2),352 बी०एन०एस० के अंतर्गत तलब किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

11– मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 06–03–2026 में कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। तद्नुसार यह दाण्डिक निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है तथा आक्षेपित आदेश पुष्ट किए जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 06–03–2026 पुष्ट किया जाता है।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
दिनांक 11.06.2026 गाजियाबाद।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
दिनांक 11.06.2026 गाजियाबाद।